रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल, भोपाल बेन्च

श्री अजय कुमार गर्ग, माननीय सदस्य (न्यायिक) रे.दा.अ./भोपाल

दावा आवेदन कमांक : OA-IIu/BPL/221/2019
दावा पंजीकरण तिथि : 14-08-2019
आदेशार्थ रखने की तिथि : 26th July, 2024
आदेश तिथि : 02nd September, 2024

1) श्रीमती प्रगति प्रजापति पत्नी स्व0 श्री सुनीलकुमार प्रजापति,
2) कुमारी शिवानी प्रजापति पुत्री स्व0 श्री सुनीलकुमार प्रजापति,
3) कुमारी सुहानी प्रजापति पुत्री स्व0 श्री सुनीलकुमार प्रजापति,
(आवेदक कमांक–2 एवं 3 अवयस्क होने से नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से आ0क0–01 द्वारा)
निवासी–ग्राम मंगोलपुर, पोस्ट–कुड़ाई,
थाना व तहसील–पटेरा,
जिला–दमोह (म0प्र0) पिनकोड–4700 772
.....आवेदक

विरूध्द

1) भारत संघ,
द्वारा–महाप्रबंधक,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (छ0ग0)
.....रेस्पाडेन्ट कमांक–01
2) श्री हरिराम प्रजापति,
पिता श्री टूंडेराम प्रजापति,
3) श्रीमती ललतीबाई प्रजापति,
पत्नी श्री हरिराम प्रजापति,
कमांक–2 एवं 3 निवासी–ग्राम मंगोलपुर, पोस्ट–कुड़ाई,
थाना व तहसील–पटेरा,
जिला–दमोह (म0प्र0) पिनकोड–4700 772
.....रेस्पाडेन्ट कमांक–02
.....रेस्पाडेन्ट कमांक–03

दावा राशि : Rs. 8,00,000/-

प्रतिनिधित्व : श्री अनिल मानिकपुरी, आवेदक–अधिवक्ता,
रेस्पांडेन्ट कमांक–01 की ओर से श्री संदीप सविता, अधिवक्ता,
रेस्पांडेन्ट कमांक–02 एवं 3 की ओर से कोई नहीं.

:: नि र्ण य ::

1. आवेदकों ने अपने पति/पिता मृतक *सुनील कुमार प्रजापति पिता श्री हरिराम प्रजापति* के अनपेक्षित घटना में मृत्यु होने के फलस्वरूप रेलवे क्लैम्स ट्रिब्यूनल एक्ट, *1987* के सेक्शन–*16* के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये *08 लाख* प्राप्त करने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया गया है.

2. आवेदन एवं शपथपत्र के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि लगभग *30* वर्षीय मृतक एसकेएस इस्पात, सिलतरा, धरसींवा, रायपुर में मुख्य इलेक्ट्रिशियन के पद पर कार्यरत् था एवं दिनांक 27-04-2018 को कटनी जाने के लिए अपने गांव से ऑटो रिक्शा से रायपुर स्टेशन पर आया और सेकण्ड क्लॉस जनरल टिकट संख्या–42868456 लेकर किसी अज्ञात यात्री ट्रेन में यात्रा करते समय संभवतः सिर के बल नीचे गिरने से उसकी लाश दिनांक 28.04.2018 को खम्भा नंबर–825/28–30 सन्यासीपारा फाटक रेलवे ट्रेक के समीप मिली. अतः

निरंतर.....2/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में मृतक पति/पिता की मृत्यु हो जाने से पत्नी एवं संतान के तौर आवेदक ही आश्रित होने से रेस्पांडेन्ट रेलवे से प्रतिपूर्ति के तौर पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने के लिए यह दावा आवेदन पेश किया गया है. आवेदकों की ओर से मृतक के माता–पिता को रेस्पांडेन्ट कमांक–2 एवं 3 के तौर पर बनाया गया है.

3. रेस्पांडेन्ट रेलवे की ओर से अपने जवाबदावे में दावे का विरोध करते हुए नक्शा–पंचायतनामा की कार्यवाही में मृतक के पास से यात्रा का कोई टिकट जब्त नहीं होने तथा जो टिकट पेश किया गया है, वह घटना से करीबन एक साल बाद एवं दावा प्रस्तुत करने के 09 दिन पहले जब्त कराया गया है, जो संदेहास्पद है एवं घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने से मृतक के यात्रा करने एवं गिरने पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है एवं स्वयं आवेदिका ने भी मृतक किस ट्रेन से यात्रा कर रहा था, इस बारे में अनभिज्ञता जाहिर की गई है. वहीं, वैधानिक तरीके से की गई अपनी जॉच रिपोर्ट जिसे डीआरएम रिपोर्ट कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर भी उक्त को ही दोहराते हुए किसी के द्वारा कोई अप्रिय घटना की सूचना न तो दिये जाने एवं न ही होने के बारे में बताया गया है, वहीं सिविल पुलिस थाना–खमतराई के एएसआई श्री संजयराम भगत, जिसने जांच कार्यवाही की थी, का स्टेटमेंट (आर–1/6) लिया है, जिसमें कार्यवाही के समय टिकट न मिलने एवं बाद में करीबन एक साल बाद मृतक के परिजनों द्वारा उक्त टिकट मृतक का बतलाते हुए पेश करने पर बतौर साक्ष्य जब्त करने का कहा है. इस प्रकार घटना के समय मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर नहीं था एवं उसके साथ घटित घटना अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के बाहर की घटना है जिसके लिए मुआवजा देने की अपनी जिम्मेदारी से इनकार करते हुए इसी आधार पर दावा आवेदन को व्यय सहित खारिज करने की प्रार्थना रेस्पांडेन्ट रेलवे की ओर से की गई है. रेस्पांडेन्ट कमांक–2 एवं 3 को नोटिस देने पर वे दोनों कोर्ट के सम्मुख उपस्थित हुए.

4. पक्षकारों के अभिवचनों और प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित इश्यूज की रचना की गई :–

1) *Whether the deceased was a bonafide passenger of the Train in question at the time of occurrence of the alleged untoward incident ?*

2) *Whether the death of deceased caused due to the said alleged untoward incident as defined under Sec. 123 (c) (2) read with Sec. 124 A of Railways Act, 1989 ?*

3) *Whether the Respondent railway administration is protected under the Section 124-A of the Railways Act, 1989 and is not liable to pay any compensation to the applicants ?*

4) *Whether the applicants is the legal dependents of the deceased to claim/receive the compensation, if any, granted ? Who else are the dependants ?*

5) *Relief and cost ?*

5. आवेदकों की ओर से कमांक–1 ने साक्षी के तौर पर स्वयं का शपथपत्र *(AW/1)* प्रस्तुत करते हुए लिखित साक्ष्य के रूप में *A-1 to A-8* तक के दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वहीं

निरंतर.....3/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

रेस्पाडेन्ट रेलवे की ओर से लिखित साक्ष्य के तौर पर डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* को विस्तृत रूप से पेश करते हुए उसकी ओर से जॉच करने वाले अधिकारी–दामिनी भारदीय, एसआई/आरपीएफ, रायपुर *(RW/1)* को भी शपथपत्र के साथ उपस्थित कराया गया है. इन दोनों ही साक्षियों का प्रति–परीक्षण कोर्ट के सम्मुख किया गया.

6. तदनुसार पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पेश की गई सारगर्भित बहस को बड़े ध्यान से सुन कर और अभिवचनों एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन कर के, उक्त इश्यूज पर मेरा निष्कर्ष इस प्रकार है :–

:: **निष्कर्ष** ::

इश्यूज क्रमांक–1 एवं 2 :

7. इस प्रकरण में आवेदिका ने मृतक के रायपुर से दमोह हेतु कटनी तक की यात्रा करना एवं यात्रा हेतु टिकट संख्या–42868456 खरीदने के बारे में जो अभिवचन किया है उसे कोर्ट के सम्मुख सशपथ दोहराया है. रेस्पांडेन्ट ने अपनी *रेल यात्री (मैनर ऑफ इनवेस्टिगेशन ऑफ अनटूवर्ड इन्सीडेन्ट), नियम 2003* के अधीन प्रस्तुत की गई वैधानिक तरीके से की गई जॉच रिपोर्ट जिसे संक्षिप्त मे डीआरएम रिपोर्ट *(R-1)* कहा गया है, में पाये गये निष्कर्ष के आधार पर टिकट का पूरजोर विरोध करते हुए कहा है कि नक्शा–पंचायतनामा (ए–2) में मृतक के पास से किसी टिकट की जब्ती न होने से तथा कथित रूप से जो टिकट पेश किया गया है वह आवेदकों की ओर से दिनांक 20–04–2019 को जप्त (ए–4) कराया गया है. अर्थात् घटना दिनांक 28–04–2018 से तकरीबन एक साल बाद जप्त कराया जाना गहरा संदेह पैदा कर रहा है एवं यह टिकट दावा प्रस्तुत करने के 09 दिन पहले जप्त कराया गया है जो कि कूट रचित नजर आता है. रेस्पांडेन्ट ने उक्त जप्ती पत्रक बनाने वाले पुलिस अधिकारी (श्री संजय राम भगत, एएसआई/पुलिस थाना खामतराई) के भी कथन अपनी जांच के समय लिये है. इस कथन में (आर–1/6) इस अधिकारी ने स्वीकार किया है कि मृतक के परिजन–घनश्याम प्रजापति लेकर आया था जिसे उसने गवाहों के समक्ष जप्त किया था. रेस्पांडेन्ट की ओर से इस घनश्याम प्रजापति का सिविल पुलिस को दिया गया बयान (आर–1/43) पेश किया है जिसमें इसने साफ तौर पर टिकट खरीदने के तथ्य के बारे में अपने बयान में कहा है किन्तु रेस्पांडेन्ट ने इसका कोई कथन अपनी जांच रिपोर्ट में न लेने से परोक्ष तौर पर इस कथन को स्वीकार करना ही कहलाएगा. चूँकि नक्शा–पंचायतनामा (ए–2) जो कि घटनास्थल पर ही बनाया गया है, में पंचों ने मृतक की ट्रेन से गिरकर कटने से आयी चोटों से मृत्यु होने की संभावना व्यक्त की है तथा नक्शा–पंचायतनामा में मृतक के पास से कुछ भी चीज बरामद न होना यही साबित करता है कि यह टिकट मृतक के लगेज में हो सकता है जिसे साक्षी–*AW/1* ने अपने प्रति–परीक्षण में स्वीकार भी किया है.

8. जहां तक रेस्पांडेन्ट का यह तर्क है कि मृतक किस गाड़ी से यात्रा कर रहा था यह ज्ञात नहीं हो पाया है एवं घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है अतः घटना पर संदेह व्यक्त किया है किन्तु रेस्पांडेन्ट ने अपने संदेह को पुष्ट करने के संबंध में न तो कोई पूख्ता लिखित

निरंतर.....4/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

साक्ष्य ही पेश की है एवं न ही मौखिक साक्ष्य द्वारा इसे पुष्ट किया गया है. जबकि, प्रकरण के बुनियादी दस्तावेजी साक्ष्यों यथा नक्शा–पंचायतनामा तथा शव–परीक्षण के लिए दिये गये आवेदन में मृतक के ट्रेन में बैठकर दमोह की यात्रा करना एवं ट्रेन से गिरने से सिर तथा पैर में चोट लगने से मृत्यु होने का अंकन है. अतः बिना पूख्ता सबूतों के रेस्पांडेन्ट का यह तर्क विधि की कसौटी पर स्वीकार्य नहीं हो सकता कि मृतक की यात्रा करने वाली ट्रेन का उल्लेख न होने एवं घटना का कोई साक्ष्य नहीं होने से घटना अनटूवर्ड इंसीडेन्ट में समाहित नहीं होती है. जहां तक रेल प्रशासन की लापरवाही व जिम्मेदारी का सवाल है तो इस संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ वि0 रीनादेवी प्रकरण *(civil appeal no. 4945 of 2018 decided on 9th May, 2018)* के पैरा कमांक–16.1 में यह साफ धारित कर दिया है कि *Section 124 and section 124 A provide that compensation is payable whether or not there has been wrongful act, neglect or fault on the part of the railway administraion in the case of an accident or in the case of an untoward incident, only exception are those provided under provision to section 124 A in Prabhakaran vijaya kumar it was held that section 124 A lays down strict liability or no fault liability in case of railway accidents. Where principle of strict liability applies, proof of negligence is not required.* अतः इस न्यायदृष्टान्त को ध्यान में रखते हुए मैं यह अभिनिर्धारित करता हूं कि मृतक के साथ घटित घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अधीन अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के अधीन समाहित होती एवं तत्समय मृतक बोनाफाइड पैसेन्जर भी था. तदनुसार इश्यूज आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किये जाते है.

इश्यूज कमांक–3 :

9. घटना *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन–123 (c) (2)* के अधीन बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटुवर्ड इंसीडेन्ट के बाहर की घटना होने को रेस्पांडेन्ट साबित नहीं कर पाया है, इसलिए रेस्पांडेन्ट इसी *एक्ट के सेक्शन–124 A* के अधीन आश्रितों को मुआवजा देने हेतु बंधनकारी है. तदनुसार इश्यूज निर्णीत किया जाता है.

इश्यूज कमांक–4 एवं 5 :

10. विवरण में सुसंगता स्थापित करने हेतु इन पर एक साथ विचार किया जा रहा है. मृतक पति एवं पिता की मृत्यु होने से पत्नी तथा संतान के तौर पर आवेदक ही आश्रित होने से उनकी ओर से यह दावा प्रस्तुत किया गया है एवं अपनेआप को आश्रित साबित करने के लिए आवेदकों की ओर से मृतक का आधारकार्ड, वोटरआयडी एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, आवेदकों के माता आधारकार्ड, बैंक खाता पासबुक एवं रॉशनकार्ड *(A-5 to 8)* आदि दस्तावेज पेश किये गये हैं. आवेदकों की ओर से मृतक के माता–पिता को आवेदक न बनाते हुए रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 एवं 3 बनाया गया है. साक्षी के तौर पर उपस्थित होने पर आवेदिका ने अपने सास–ससुर को रेस्पांडेन्ट बनाये जाने के संबंध में कोई कारण न बताये जाने का कहा है. कोर्ट द्वारा इन्हें नोटिस दिये जाने पर उन्होंने आधारकार्ड, बैंक पासबुक आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर मृतक से संबंध स्थापित करने हेतु मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र भी पेश किया है जिसमें मृतक के माता–पिता के तौर पर

निरंतर.....5/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

इनका नाम एवं पत्नी के तौर पर आवेदिका का नाम अंकित है. इस प्रकार लिखित एवं दस्तावेजी साक्ष्य से तीनो आवेदकों के साथ–साथ मृतक के माता–पिता के तौर पर रेस्पांडेन्ट क्रमांक–2 एवं 3 को *रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन– 123 (B) (i)(ii)* के अधीन आश्रितों में समाहित किया जाता है.

11. चूँकि यह साबित हो गया है कि मृतक के साथ घटित घटना बोनाफाइड पैसेन्जर के साथ घटित होने वाली अनटूवर्ड इंसीडेन्ट की ही घटना है इसलिए *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग–एक के अन्तर्गत आश्रितों को प्रतिकर देने हेतु रेस्पांडेन्ट बाध्य है.

12. माननीय सुप्रीमकोर्ट के आदेशों को देखते हुए निर्धारित आश्रित *रेल दुर्घटना और अनपेक्षित घटना (प्रतिकर) नियम, 1990 संशोधित 1997 & 2016* के नियम–3 की अनुसूची के भाग एक के अधीन निर्धारित रूपये *8,00,000/-* की राशि एवं इस पर घटना दिनांक *28-04-2018* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *09%* प्रतिवर्ष साधारण ब्याज भी संदेय होगा. अतः निर्धारित आश्रित ब्याज सहित कुल राशि प्रतिकर के रूप में रेस्पांडेन्ट से प्राप्त करने के हकदार हैं. अतः इश्यूज का निर्धारण करते हुए निम्नलिखित आदेश जारी किये जाते हैं :–

:: आ दे श ::

13. अतः रेस्पांडेन्ट को आदेश दिये जाते हैं कि वह कुल प्रतिकर राशि रूपये *8,00,000/-* में से आश्रित के तौर पर आवेदकों को निम्नानुसार भुगतान करेगा :–

Sl No	Name of the Applicants	Relation ship with deceased	Age in years	Amount awarded (Rs.)	In cash (Rs.) (एवं कॉलम–5 की राशि पर गणित समस्त ब्याज)	As Fixed Deposit (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1)	श्रीमती प्रगति प्रजापति	पत्नी	34	4,00,000/-	40,000/-	3,60,000/-
2)	कु. शिवानी प्रजापति	पुत्री	13	1,00,000/-	--	1,00,000/-
3)	कु. सुहानी प्रजापति	पुत्री	11	1,00,000/-	--	1,00,000/-
4)	श्री हरिराम प्रजापति	पिता	63	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-
5	श्रीमती ललती बाई प्रजापति	माता	58	1,00,000/-	10,000/-	90,000/-

14. रेस्पांडेन्ट उक्त राशि पर घटना दिनांक *28-4-2018* से भुगतान तिथि तक की अवधि पर *09%* प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज का भी संदेय आश्रितों को करेगा.

15. उक्त तालिका के कॉलम संख्या–6 की राशि एवं प्रतिकर राशि पर समस्त देय ब्याज को सम्बन्धित लाभार्थी/लाभार्थियों के सीधे खाते में स्थानांतरित की जाएगी जिसे वह तत्काल निकाल सकते हैं एवं कॉलम–7 में दर्शाई गई शेष राशि को लाभार्थी क्रमांक–1 एवं 5 के लिए उनके नाम से 05 वर्ष के लिए तथा लाभार्थी क्रमांक–4 के लिए 03 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज एफडी होल्डर मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेगा/सकेंगे. लाभार्थी क्रमांक–2 एवं 3 चूंकि अवयस्क हैं इसलिए ब्याज सहित इनको देय कुल प्रतिकर राशि को इनके वयस्क होने की अवधि तक फिक्स्ड डिपाजिट में रखा जाएगा जिस पर अर्जित ब्याज इनके लालन–पालन हेतु नैसर्गिक संरक्षिका के तौर पर माता होने से माता होने से आवेदक/लाभार्थी क्रमांक–1 मासिक अथवा अपनी सुविधानुसार आहरित कर सकेगी.

निरंतर.....6/पर

रेल दावा अधिकरण प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि भोपाल पीठ, भोपाल

Sd

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

16. अतः लाभार्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपने निवासस्थान के नजदीक स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/शेड्यूल्ड बैंक के नवीनतम बचतखाते की जानकारी रेस्पांडेन्ट रेलवे के प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के साथ–साथ इस पीठ की रजिस्ट्री के अपर पंजीयक महोदय के पास भी अतिशीघ्र उपलब्ध कराएंगा. रेस्पांडेन्ट रेलवे इस आदेश की प्रति प्राप्ति से *60* दिवसों के भीतर लाभार्थी को आगे दिये गये निर्देशानुसार भुगतान करने के लिए बाध्य होगा.

17. रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या–2021/TC/-III/2610, dtd 29-09-2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में रेस्पांडेन्ट रेलवे जल्दी–से–जल्दी दावा राशि के भुगतान का प्रबंध करेगा, किन्तु इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर मुआवजा राशि का भुगतान करने में विफल रहता है तो रेस्पांडेन्ट आगे की अवधि के लिए भुगतान तिथि तक *12%* वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा.

18. भारत सरकार ने 03 जून, 2020 को एक अधिसूचना जारी की है जिसमें रेलवे दुर्घटनाओं और अनपेक्षित दुर्घटनाओं (मुआवजा) संशोधन नियमों, 2020, संशोधित नियम–5 में किये गये संशोधन के अनुसार लाभार्थियों के नवीनतम बचत खातें निम्नलिखित शर्तों के अधीन खोले जाएंगे :–

1) ऐसे खातों में एटीएम/डेबिट कार्ड जारी नहीं किये जाएंगे,
2) इन खातों में चैकबुक भी जारी नहीं की जाएगी,
3) ऐसे खातों में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से राशि स्थानांतरित नहीं की जाएगी,
4) ऐसे खातों में मोबाइल अथवा इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा भी नहीं रहेगी.

19. आवेदक/लाभार्थी यदि नवीनतम बचत खातों का विवरण नहीं देते हैं तो विद्यमान बैंक दावा राशि के भुगतान के वितरण से पहले आवेदक/लाभार्थी के मौजूद बचत खातों में से चैकबुक को निरस्त कर देगा एवं साथ ही एटीएम/डेबिट कार्ड को भी निरस्त कर देगा. बैंक खाते में दी गई मोबाइल एवं इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को भी बंद कर देगा एवं उपर्युक्त सुविधाओं को बंद करने बाबत् बैंक आवेदक/लाभार्थी के बैंक पासबुक में उचित प्रविष्टि करके अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ सील भी लगाएगा.

20. इन खातों से धन की निकासी केवल "निकासी फार्म" के द्वारा ही की जाएगी.

21. आवेदक/लाभार्थी अपने निवास के समीप स्थित बचत खाते का विवरण, जिस पर उचित पृष्ठांकन किया गया हो, अपनी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधारकार्ड/पेनकार्ड अथवा अन्य कोई उचित पहचान का दस्तावेज तथा अपने नवीनतम पासपोर्ट आकार के 2 फोटोग्राफ्स एवं नमूने के हस्ताक्षर आदि रजिस्ट्री के पास जमा करेंगे.

22. इस पीठ की अनुमति के बिना आवेदक/लाभार्थी के उक्त बचत खातों का स्थानांतर नहीं किया जा सकेगा. लाभार्थी से प्राप्त उक्त बैंक विवरण से रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं संतुष्ट होने के बाद ही इसे अपर पंजीयक को हस्तांतरित करेंगे.

23. रेस्पांडेन्ट लाभार्थियों को संदेय राशि का भुगतान इस रजिस्ट्री के *Suitors Account No. 10064520760 IFSC Code : SBIN0005798 (State Bank of India, Shivaji Nagar Branch, BHOPAL (MP)* बैंक खाते में *RTGS* के द्वारा इस आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्ति से 60 दिनों के भीतर जमा करते हुए इसकी सूचना अपर पंजीयक को भी देगा.

24. पीठ द्वारा पारित इस आदेश की कॉपी आवेदक/लाभार्थी अपनी बैंक शाखा को प्रस्तुत करेंगे ताकि बैंक पीठ द्वारा खाते से सम्बन्धित शर्तों की पूर्तता करते हुए इसका पृष्ठांकन आवेदक/लाभार्थी की पासबुक में करेगा. उक्त पृष्ठांकन के साथ अपनी पासबुक एवं आधारकार्ड, पेनकार्ड अथवा पहचान का उचित दस्तावेज आवेदक/लाभार्थी सीधे रेस्पांडेन्ट को प्रस्तुत करेंगे.

25. दावा राशि के भुगतान के पूर्व रेस्पांडेन्ट रेलवे स्वयं इस बात पर संतुष्ट होगा कि आवेदक/लाभार्थी द्वारा जो बचत खातों की जानकारी दी गई है, वे उसके निवासस्थान के

शेष.....7/पर

Sd

सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल

नजदीक स्थित है एवं उक्त खाते में चैकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग आदि की सुविधा बंद की जा चुकी है एवं पीठ के अनुमति के बिना ये सुविधाएँ शुरू नहीं की जाएगी.

26. लाभार्थी/आवेदक को संदेय दावा राशि की सुरक्षा हेतु रेस्पांडेन्ट/लाभार्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तुत किया गया खाता संयुक्त न होकर एकल ही होगा. (नैसर्गिक संरक्षक के द्वारा संचालित किये जा रहे अवयस्क खातों को छोड़कर). बैंक आवेदक/लाभार्थियों की फिक्स्ड डिपाजिट रसीदों को अपने ही पास सेफ कस्टडी में रखेगा, जिसका स्टेटमेंट (अर्थात् एफडीआर नंबर, राशि, परिपक्वता की तारीख एवं परिपक्वता की राशि) वह लाभार्थी को अवश्य उपलब्ध कराएगा.

27. उक्त एफडीआर की परिपक्वता पर ब्याज सहित परिपक्वता राशि को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् ECS के द्वारा लाभार्थी के बचत खाते में जमा किया जाएगा.

28. इस पीठ के आदेशों के बिना एफडीआर पर न तो लोन दिया जाएगा एवं न ही इस पर अग्रिम स्वीकार किया जाएगा. इस एफडीआर को परिपक्वता से पूर्व भी भुनाया नहीं जा सकेगा.

29. पीठ के दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस आदेश की प्रति स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नोडल अधिकारी/शाखा प्रबंधक को भी भेजी जाएगी.

30. तदनुसार इस मूल दावा आवेदन का निस्तारण किया जाता है.

31. पक्ष अपना–अपना वादव्यय वहन करेंगे.

32. इस आदेश की प्रति पक्षों को नियमानुसार प्रदान की जाएगी.

33. प्रकरण–फाइल रेकार्ड रूम को प्रेषित की जाए.

Sd .09.2024

(... कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 02nd **September, 2024** को उद्घोषित होकर हस्ताक्षरित किया गया.

SD .09.2024

(... कुमार गर्ग)
सदस्य (न्यायिक)
रेल दावा अधिकरण, भोपाल

रेल दावा अधिकरण
प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि
भोपाल पीठ, भोपाल

10/9/24
सहायक पंजीयक
रेल दावा अधिकरण
भोपाल पीठ, भोपाल